UPSI180002952016

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी- रोहित पुरी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP3474

फौजदारी वाद संख्या-344/ 2016

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

बनाम

प्रेम प्रकाश उर्फ भगवान पुत्र पुत्तू पासी,

निवासी ग्राम भज्जापुरवा मजरे ईंटगाँव, थाना थानगाँव, जिला सीतापुर।

.....अभियुक्तगण।

अपराध सं०-1/ 2016
धारा-60 आबकारी अधिनियम,
थाना-थानगाँव, जिला-सीतापुर।

निर्णय

1. पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते हा०मु० नियत है। पुलिस थाना थानगाँव द्वारा अभियुक्त प्रेम प्रकाश उर्फ भगवान के विरुद्ध अपराध संख्या-1/ 2016, धारा-60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा महेश पाठक द्वारा थाने पर इस आशय की रिपोर्ट लिखायी गयी कि, "दिनांक-01.01.2016 को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्लास्टिक की पिपिया में कच्ची शराब लेकर ग्राम ईंटगाँव की तरफ पैदल-पैदल जा रहा है। उक्त सूचना पर विश्वास करके मौके पर एक बारगी दबिश देकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया व पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम प्रेम प्रकाश उर्फ भगवान बताया तथा उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब की बरामदगी की गयी।"

3. अभियुक्त **प्रेम प्रकाश उर्फ भगवान** की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर स्वेच्छया जुर्म इकबाल के आधार पर मुकदमें के निस्तारण की याचना की गयी है।

4. अभियुक्त का बयान मुल्जिम अंकित किया गया जिसमें उसने घटना को स्वीकार किया तथा अपराध अपनी मर्जी से स्वीकार करना कहा।

5. अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल बयान के आधार पर उसके विरुद्ध धारा-60 आबकारी अधिनियम का आरोप साबित है। अतः अभियुक्त जुर्म इकबाल बयान के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्त को धारा-60 आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

लंच पश्चात् दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.05.09 17:50:02 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त अत्यन्त गरीब व्यक्ति है। वह घर का अकेला कमाने वाला है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का कथन किया गया है।

अभियुक्त की ओर से व्यक्तिगत रूप से कथन किया गया कि वह अपने घर का अकेला कमाने वाला सदस्य है एवं वह गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है और उसे न्यायालय द्वारा कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

उक्त पत्रावली वर्ष 2016 से न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अभियुक्त अत्यन्त गरीब व्यक्ति है तथा वह गरीब मजदूरी पेशा है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्त **प्रेम प्रकाश उर्फ भगवान** को अपराध संख्या-1/2016, धारा-60 आबकारी अधिनियम थाना थानगाँव, जिला सीतापुर के अपराध में दोषी पाते हुए प्रस्तुत मामले की उक्त धारा में रु० 1000/-(एक हजार रुपये) के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदा न किये जाने पर उसे 20 दिन के साधाराण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिनांक-09.05.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक-09.05.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)